कृषि विभाग
बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली

परिचय– नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) तथा आत्मा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना अंतर्गत जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा के तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु निर्गत परिपत्रों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित पदों पर नियोजन किया जाएगा।

1. **आवेदन पत्र का आमंत्रण –**

जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद से विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। संबंधित पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं नियत मासिक मानदेय का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	नियत वेतन (रु० प्रति माह)
01	02	03	04	05	06	07
			प्रखंड स्तरीय			
01	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर)	288	कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/वानिकी/ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान/ मत्स्यकी/ गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री	भारत/राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों/संगठनो/ वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र/ आत्मा/ कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा निर्गत (स्नातक के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लिए 02 वर्ष का) कार्य अनुभव।	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	30,000

02	सहायक तकनीकी प्रबंधक (आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर)	587	कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण / वानिकी/ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान / मत्स्यकी / गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री	–	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	25,000
03	लेखापाल (राज्य योजना अन्तर्गत प्रखंड स्तर)	160	बी. कॉम.	भारत / राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों / संगठनो / वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र / आत्मा / कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय आदि में लेखा कार्य में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	22,500/-
जिला स्तरीय						
04	आशुलिपिक–सह– लिपिक (राज्य योजना अन्तर्गत जिला स्तर)	06	स्नातक एवं आशुलिपिक का प्रमाणपत्र तथा कम्पयूटर में 06 माह का डिप्लोमा	भारत / राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों / संगठनो / वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र / आत्मा / कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय आदि में आशुलिपि कार्य में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	22,500/-

नोट – जिलावार, पदवार एवं कोटिवार रिक्त पदों के संख्या की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता –

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- कंडिका संख्या–01 में अंकित आवेदित पद के अनुसार सभी अर्हता को पूरा करता हो।

- **उम्र सीमा**– प्रत्येक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है परन्तु बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रवृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ी जाति/अत्यन्त पिछड़ी जाति/पिछड़ा वर्ग महिला/महिला को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष/अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरूष एवं महिला) के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष अनुमान्य होगी।

3. **आरक्षण** –सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय–समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे।

   नोट – आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से जाति एवं आरक्षण से संबंधित दावा हेतु अन्य प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग महिला/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला/महिला/दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती एवं नतिनी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित सरकार द्वारा निर्धारित अन्य आरक्षण लाभ) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. **आवेदन देने की प्रक्रिया** –

- आवेदन पत्र ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- बामेती के वेबसाईट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर आवेदन करने हेतु लिंक दिया जायेगा, जिसके माध्यम से ऑन–लाईन आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा का संधारण डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग **के माध्यम से लिंक लेकर** किया जाएगा।
- **On-line** आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से **15 अप्रैल, 2023 के 5.00 बजे अपराह्न तक** Submit किया जा सकता है।
- कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 02 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है।
- काउंसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।

5. **नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण** –

क्र0सं0	कार्य का विवरण	समय सीमा	दायित्व
1.	ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि एवं प्रमाणपत्रों को अपलोड करना	**15 अप्रैल, 2023 के 05:00 बजे अपराह्न तक**	डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग
2.	Draft List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	**18 अप्रैल, 2023**	डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग/बामेती
3.	आवेदक अपनी आपत्ति डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग को भेज सकेंगे	**22–23 अप्रैल, 2023**	डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग/बामेती
4.	आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात Final List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	**29 अप्रैल, 2023**	डी0बी0टी0 कोषांग, कृषि विभाग/ बामेती
5.	आवेदन पत्र एवं प्रमाणपत्रों का डाउनलोड करना	**02–05 मई, 2023**	जिला स्तर पर

क्र0सं0	कार्य का विवरण	समय सीमा	दायित्व
6.	काउंसिलिंग / साक्षात्कार / दक्षता जाँच (Shortlisted अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्या का 5 गुणा बुलाया जाएगा)		
6.1.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का काउंसिलिंग	08–09 मई, 2023	जिला स्तर पर
6.2.	सहायक तकनीक प्रबंधक का काउंसिलिंग	15–18 मई, 2023	जिला स्तर पर
6.3.	लेखापाल / आशुलिपिक–सह–लिपिक का काउंसिलिंग	22–23 मई, 2023	जिला स्तर पर
6.4.	आशुलिपिक–सह–लिपिक का दक्षता जाँच परीक्षा	24–25 मई, 2023	जिला स्तर पर
7.	ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट का प्रकाशन एवं जिला आत्मा के वेबसाईट पर अपलोड करना	28 मई, 2023	जिला स्तर पर
8.	दावे / आपत्ति को प्राप्त करना	30–31 मई, 2023	जिला स्तर पर
9.	दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के सूची का प्रकाशन एवं वेबसाईट पर अपलोड करना	03 जून, 2023	जिला स्तर पर

6. **जिला स्तर पर आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने हेतु जिला स्तर पर चयन समिति का गठन** – समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

i. जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद – अध्यक्ष
ii. उप विकास आयुक्त – उपाध्यक्ष
iii. जिला कृषि पदाधिकारी – सदस्य
iv. सहायक निदेशक उद्यान – सदस्य
v. जिला पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य
vi जिला मत्स्य पदाधिकारी – सदस्य
vii. अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी – सदस्य
viii. परियोजना निदेशक, आत्मा – सदस्य सचिव

परियोजना निदेशक, आत्मा "**नियोजन प्राधिकार**" की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।

जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे –

- आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना।
- पदवार, कोटिवार अभ्यर्थियों का प्रारूप (Draft) मेधा / चयन सूची तैयार करना तथा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करना।
- ड्राफ्ट मेधा / चयन सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्य सचिव (नियोजन प्राधिकार) के समक्ष दावा / आपत्ति (यदि कोई हो) कर सकता है।
- आपत्ति / दावों का विचारण के उपरांत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

- अन्तिम मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के कागजातों आदि के सत्यापन हेतु काउंसिलिंग आयोजित कराना।
- काउंसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।
- वरीयता सूची के आधार पर 02 गुणा प्रतीक्षा सूची तैयार करना।

6.1. नियोजन की प्रक्रिया –

6.1.1. Final List of Shortlisted Candidates द्वारा प्रमाणपत्रों को वेबसाईट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलों को दिया जाएगा।

6.1.2. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत निर्धारित तिथि को जिला की चयन समिति के समक्ष सभी अभ्यर्थियों का पदवार, कोटिवार प्रारूप मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा उसे संबंधित जिला के वेबवाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रारूप पर कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक चयन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष आपत्ति कर सकता है। आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरांत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा कांउसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।

6.1.3. प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दिन अभ्यर्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी।

6.1.4. ऑन लाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण कोटि का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सक्षम पदाधिकारी (अनुमंडल/जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा सामान्य श्रेणी में समझा जाएगा।

6.1.5 ऑन लाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

6.1.6. ऑन लाईन आवेदन भरते समय सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.17. ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अनुलग्नक में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

7. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण–

- **कुल 100 अंको का मेधा सूची निम्नप्रकार तैयार किया जायेगा–**
  1. **शैक्षणिक योग्यता पर अधिकतम 80 अंक–**
     [{(मैट्रिक के कुल प्राप्त % अंक + इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त % अंक + स्नातक के कुल प्राप्त %)/3}X 0.80 अंक],
  2. **निर्धारित न्यूनतम अनुभव वर्ष से अतिरिक्त अनुभव वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक–**
     (निर्धारित कार्य अनुभव से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 02 अंक, 02 पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 04 अंक, 03 पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 06 अंक, 04 पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 08 अंक एवं 05 पूर्ण वर्ष अथवा 05 वर्ष से अधिक के कार्य अनुभव पर 10 अंक)।

3. बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 05 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
4. अतिरिक्त योग्यताधारक अभ्यर्थी को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) के लिये अधिभार अंक के रूप में अधिकतम 05 अंक प्रदान किया जाएगा।

4.1. अतिरिक्त योग्यता हेतु 05 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा –

स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक पर	स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत से कम अंक पर
5 अंक	2 अंक

8. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक –

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं स्नातक तक के लिए प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 80 अंक देय होगा अर्थात शैक्षणिक योग्यता पर 80 अंक देय होगा। ओ0जी0पी0ए0/सी0जी0पी0ए0 वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.80 अंक देय होगा।

9. **कार्य अनुभव के लिए अंक का निर्धारण** – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

इन पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 02 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 04 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 06 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 08 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 05 पूर्ण वर्ष एवं इससे अधिक का कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – भारत/राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों/संगठनो/वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र/ आत्मा/ कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अधिभार अंक दी जाएगी।

10. **प्रतीक्षा सूची**– प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का 02 गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन का प्रस्ताव संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा जिनके स्वीकृति के उपरांत

संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची अधिकतम 01 वर्ष तक ही वैध रहेगा।

संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

11. लेखापाल के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

1. शैक्षणिक योग्यता – **85 अंक**
   (मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + स्नातक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत / 3) **× 0.85**
2. कार्य अनुभव – **10 अंक**
3. बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को **05 अंक** अतिरिक्त दिया जाएगा।
4. संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

क. **शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक** –
संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 85 अंक देय होगा। ओ0जी0पी0ए0 / सी0जी0पी0ए0 वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.85 अंक देय होगा।

ख. **कार्य अनुभव के लिए अंक का निर्धारण** – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 02 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 04 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 06 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 08 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 05 पूर्ण वर्ष एवं इससे अधिक का कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – भारत / राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों / संगठनो / वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र / आत्मा / कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

ग. **प्रतीक्षा सूची**– प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का दो गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का

चयन का प्रस्ताव संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक वैध रहेगा।

12. आशुलिपिक–सह–लिपिक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण –

अधिकतम अंक – 100

1. शैक्षणिक योग्यता – **75 अंक**
   (मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + स्नातक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत / 3) **× 0.75**
2. कार्य अनुभव – **10 अंक**
3. दक्षता जाँच परीक्षा – **10 अंक**
4. बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को **05 अंक** अतिरिक्त दिया जाएगा।
5. संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक –

संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 75 अंक देय होगा। ओ0जी0पी0ए0 / सी0जी0पी0ए0 वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.75 अंक देय होगा।

ख. कार्य अनुभव के लिए अंक का निर्धारण – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 02 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 04 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 06 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव – 08 अंक
- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 05 पूर्ण वर्ष एवं इससे अधिक का कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – भारत / राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों / संगठनो / वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र / आत्मा / कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

ग. दक्षता जाँच परीक्षा –

- दक्षता जाँच परीक्षा जिला स्तर पर आत्मा द्वारा आयोजित किया जाएगा।

- दक्षता जाँच परीक्षा के लिए **अधिकतम 10 अंक** निर्धारित है।
- उक्त पद के लिए कम्प्युटर संचालन एवं आशुलिपि का ज्ञान आवश्यक है। **कम से कम 25 शब्द/मिनट हिन्दी में एवं 30 शब्द/मिनट अंग्रेजी में कम्प्यूटर में टंकण आवश्यक है।**
- आशुलिपि में **कम से कम 80 शब्द/मिनट हिन्दी में एवं 100 शब्द/मिनट अंग्रेजी में लेखन ज्ञान आवश्यक है।**

घ. **प्रतीक्षा सूची**– प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का 02 गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन का प्रस्ताव संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक वैध रहेगा।

13. सेवा अवधि अधिकतम 60 वर्षों तक की आयु तक ही सीमित होगी।

14. भारत सरकार के मार्गदर्शिका/राज्य सरकार के राज्यादेश के अनुसार नियत वेतन में वृद्धि की जाएगी।

15. <u>एकरारनामा</u> –

- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्त्ते सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।
- किसी कर्मी के ऊपर उनके पूर्व के संस्थानों/विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्रवाई/न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गयी हो से संबंधित शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) योगदान के समय देना अनिवार्य होगा।
- पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर शपथ पत्र योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना होगा।
- योगदान उपरांत अगर उपर्युक्त से संबंधित कोई साक्ष्य पाया जाता है तो उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा एवं सेवा अवधि के दौरान प्राप्त मानदेय राशि को वापस करना होगा।

16. नियोजन की अवधि – संविदा पर नियोजन योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिये अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिये किया जायेगा परन्तु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवामुक्त किया जा सकेगा।

17. नियोजन की समाप्ति –

- संविदा पर नियोजन योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिये अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिये किया जायेगा परन्तु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवामुक्त किया जा सकेगा।
- आत्मा अंतर्गत नियोजित कर्मियों को उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर कार्य असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में संबंधित संविदा आधारित पद से हटाने हेतु परियोजना

(216)

निदेशक, आत्मा द्वारा सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी–सह– अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

18. संविदा आधारित नियोजित कर्मियों का सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में परियोजना निदेशक, आत्मा की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जा सकता है।

19. **अवधि विस्तार** – चूँकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। अतः संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का अवधि विस्तार प्रति वर्ष अधिकतम 60 वर्षों की उम्र तक**, या** तबतक किया जाएगा जबतक भारत सरकार द्वारा आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति तथा आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।

20. नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा।

21. **संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व** – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/नियम/परिनियम के आलोक में भारत सरकार, राज्य सरकार, अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति, निदेशक बामेती/आत्मा शासी परिषद द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना है।

22. आत्मा में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण परियोजना निदेशक, आत्मा एवं जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद का होगा।

23. जिला स्तर पर अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची के पैनल की अनुमान्यता मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष तक ही वैध होगी। अगर नवनियोजित कर्मी के योगदान नहीं करने के कारण कोई रिक्ति रह जाती है तो एक वर्ष के अंदर इसी पैनल से नियमानुसार नियोजन की जा सकेगी।

8/02/2023

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

215

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 के अधीन)

यह एकरारनामा .... एवं संविदा के आधार पर चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती .... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :-

1. यह नियोजन केवल .... (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. यह नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा अनुमान्य सुविधाओं के अधीन संविदा के आधार पर किया जा रहा है।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री............................. को रू0 ....(. .... रूपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित व्यक्ति, नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार दो विकल्प दे सकते हैं, परन्तु इस संदर्भ मे नियुक्ति प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा। नियुक्ति प्राधिकार अवश्यकतानुसार विकल्प से भिन्न, किसी भी अन्य नियोजन स्थल पर नियोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा नियोजित कर्मी को सामान्य प्रशासन विभाग के संकलप ज्ञापंक 1003 दिनांक 22.01.2021 मे निधारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य निष्पादन करना होगा।
9. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा समाप्त किया जा सकता है। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक .... से प्रभावी होगा।

(परियोजना निदेशक, आत्मा .... का हस्ताक्षर)
पूरा नाम

(नियोजित व्यक्ति का हस्ताक्षर)
पूरा नाम
पता

214

शपथ पत्र प्रारूप

मैं, ... (नाम), पिता का नाम ...., पूरा पता..., मोबाईल नं0 .... शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि कार्य के दौरान पूर्व के संस्थानों/विभागों/निदेशालयों/संगठनों/बोर्ड/निगम आदि के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाया गया है, न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और न ही मुझे इस हेतु संबंधित संस्थान/न्यायालय से दंडित किया गया है।

मेरे द्वारा आवेदन में सम्मिलित सभी प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र वैध हैं। मैं इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। यदि मेरा कोई भी प्रमाणपत्र/अंकपत्र आत्मा कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थानों से जाँच कराने के क्रम में अवैध पाया जाता है तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने हेतु आत्मा स्वतंत्र होगा।

नाम –

पूरा पता–

मोबाईल नं0–